पत्र संख्या-स्था-5(ख)-सामान्य स्थानान्तरण-2022-23 // 1191 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 10 जून, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या- 8/2022/सा0-119/सैतालिस-4-2022-(1/3/96) दिनांक 13-05-2022 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रुप से किये जाने हेतु आयुक्त महोदया के अनुमोदनोपरान्त पत्र संख्या-962 दिनांक 27-05-2022 द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

शासन के पत्र दिनांक 13-05-2022 में दिये गये निर्देशानुपालन में समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये जाते है :-

1- शासन के उपरोक्त पत्र के माध्यम से स्थानान्तरण सत्र् 2022-23 में समूह ग के कार्मिकों के मुख्यालय/ जोन के अन्तर्गत पटल/ क्षेत्र परिवर्तन करने के लिए समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों को दिनांक 30 जून करने के निर्देश दिये गये है। चूँकि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर व वाराणसी जोन में एक से अधिक अपर आयुक्त ग्रेड-1 तैनात हैं, अत: यहां तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-1 जोन प्रथम को जोन प्रथम एवं जोन द्वितीय के कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही समिति के माध्यम से किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। समिति में दोनों जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1 तथा दोनों जोन के संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) सदस्य होगें।

2- करनिर्धारण एवं गैर करनिर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-
क- सचलदल कार्यालय - एक वर्ष
ख- वि0अनु0शा0 एवं प्रवर्तन कार्यालय- दो वर्ष
ग- कर निर्धारण कार्यालय - तीन वर्ष
घ- गैर कर निर्धारण कार्यालय - दो वर्ष
च- अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर कार्यालय तथा टैक्स आडिट कार्यालय को भी कर निर्धारण कार्यालय की परिधि में माना जाये।
(कर निर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की गणना कार्मिक के कर निर्धारण कार्यालय से सम्बद्ध रहने की अवधि को भी कर निर्धारण कार्यालय में कार्यरत मानते हुये की जाये।)

3- सचलदल से वि0अनु0शा0 में एवं वि0अनु0शा0 से सचलदल में तैनाती नहीं की जाएगी। जो कार्मिक गत वर्ष इन इकाईयों / कार्यालयों में तैनात रहे हैं, उन्हे 03 वर्षो तक इन कार्यालयों में तैनात न किया जाये। इसके अतिरिक्त इन इकाईयों में तैनाती अवधि के दौरान समूह "ग" श्रेणी के जिन कार्मिकों की दूषित कार्यप्रणाली के कारण उनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है, ऐसे कार्मिकों को भी जनहित / राजस्व हित में इन इकाईयों में तैनात न किया जाये।

4- विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्मिकों की तैनाती मुख्यालय के पत्र संख्या-1035 दिनांक 19-06-2015 द्वारा किये गये पदवार आवंटन के अनुरुप की जायेगी एवं किसी भी कार्मिक का अन्य कार्यालय में सम्बद्धीकरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

6- स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दबाव डलवाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुये नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायें।

7- प्रायः कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं प्रतिकूल आचरण अपनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा इस आधार पर ऐसे कार्मिकों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। चूँकि इस प्रवृत्ति के कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके विरुद्ध न तो दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावी हो पाती है और न ही इससे कर्मचारियों के आचरण में अपेक्षित सुधार हो पाता है। अतः ऐसे कार्मिकों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय / संवेदनशील कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुये उनके विरूद्ध सुसंगत नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ करायी जाये।

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सँख्या :: एवं दिनॉक :: उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदया के अवलोकनार्थ।
3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
4- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/सर्वोच्च न्यायालय कार्य/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6- समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9- पटल प्रभारी -स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) /स्था-4(क) /स्था-4(ख) /स्था-4(ग) /स्था-4(घ) / स्था-3 क / स्था-3ख राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

09/06/2022

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।